(323)

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:-- (1) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

(2) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

क्रमांक-प 6(9)राज-6/96/12 जयपुर, दिनांक- 18/9/02

-: परिपत्र:-

विषय- स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका/मास्टरप्लान सीमा में स्थित राजकीय भूमियों का नगरपालिकाओं/नगर सुधार न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण बाबत।

राज्य सरकार ने अपने परिपत्र संख्या प 6(124)राज-4/83/30 दिनांक 18.11.93 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि नगरपालिकाओं के अधिसूचित सीमा या स्वीकृत मास्टर प्लान की सीमा में स्थित सवाईचक राजकीय भूमि संबंधित नगर पालिकाओं/नगर सुधार न्यासो को हस्तान्तरण कर दिया जावे तथा उनसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 6(42)राज-बी/58/ग्रुप-1 दिनांक 20.4.1961 के तहत लगान का 40 गुणा राशि पूंजीगत मूल्य वसूल करें।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एक स्थानीय संस्था होते हुए भी इससे उक्त अधिसूचना के तहत भूमि हस्तान्तरण पर राशि वसूल नहीं की गई है जिसके कारण महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा ड्राफ्ट पैरा बनाये गये है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर भी एक स्थानीय संस्था है और इस संस्था से भी राजस्व भूमि हस्तान्तरण पर उक्त अधिसूचना दिनांक 20.4.61 के तहत राशि वसूल की जानी है। बकाया पूंजीगत मूल्य वसूली की कार्यवाही करते हुए स्थानीय निकाय को भूमि हस्तान्तरण तभी किया जावे जब वे उक्त देय राशि राजकोष में जमा करवा दें।

(हस्ताक्षर) 18/9/02
(बच्चू सिंह मीणा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक राजस्व मंत्री 2 शासन सचिव, राजस्व/नगरीय विकास एवं आवासन वि
3 निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मय 10 अतिरिक्त प्रति के।
4 सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर 5 मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर
6 निदेशक, [illegible] शासन राज. जयपुर 7 शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप 2,3 एवं 9
8 [illegible]

(हस्ताक्षर) 18/9/02
उप शासन सचिव

(68)